न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.) सिणधरी सिवाना

पीठासीन अधिकारी–प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 05/2019

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण

1.मानाराम

2.हडमताराम

3.खगाराराम

4.मांगाराम पिसरान लच्छाजी

5.मोरोदेवी पत्नि लच्छाजी

जाति पुरोहित निवासी कुण्डल तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

2.सरपच ग्राम पंचायत कुण्डल तहसील सिवाना व जिला बाडमेर

3.मानसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर

4.जोमताराम पुत्र कालूराम के वारिसान

4/1 डूगराराम पुत्र जोमताराम

4/2 जालाराम पुत्र जोमताराम

4/3 सापुदेवी पत्नि जोमताराम जाति रबारी निवासी कुण्डल तहसील सिवाना व जिला बाडमेर

5.मांगाराम पुत्र कालूराम जाति रबारी निवासी कुण्डल व तहसील सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री कैलाशपुरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी संख्या 3 से 5 उपस्थित।

3. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 15.7.19

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सख्या 968/84 रकबा 6.4345 हैक्ट. व खसरा संख्या 962/85 रकबा 0.7203 हैक्ट. भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2071 से 2071 से प्रमाणित होता है। एवं काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। विप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने इकबालीया जवाब पेश किया गया है और प्रार्थीगण के खेत की नेखमबंदी किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुण्डल पटवार क्षेत्र कुण्डल तहसील सिवाना की खेत खसरा संख्या- 968/84 रकबा 6.4345 हैक्ट. व खसरा संख्या 962/85 रकबा 0.7203 हैक्ट. भूमि के सबंध में विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिनर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(प्रमोद सिरवी)
उपखण्ड अधिकारी,सिवाना।

आदेश आज दिनांक 15.07.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिवाना।
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.10 18:54:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: